

- 1457
1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल प्रस्तावित स्थल पर कुल 226 वृक्षों में से 211 वृक्षों को यथास्थिति रखते हुए 20 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पौधों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0व0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई0) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।
 3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
 4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा निर्धारित बानागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
 8. बक्सर जिलान्तर्गत NH-319A (मोहनियाँ-रामगढ़-चौसा-बक्सर) 30.660-65.885km पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 9.6184 हे० वन भूमि का पस्ताव।

बक्सर जिलान्तर्गत NH-319A (मोहनियाँ-रामगढ़-चौसा-बक्सर) 30.660-65.885km पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 9.6184 हे० वन भूमि का पर वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन हेतु Tree Protection Plan प्रस्तावित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत प्रस्ताव उनके पत्रांक 1479 दिनांक 05.08.2022 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	कार्यपालक अभियंता रा०उ० प्रथम प्रमंडल, औरंगाबाद	NH-319A (मोहनियाँ-रामगढ़-चौसा-बक्सर) 30.660-65.885km पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2453	205	1371	877	

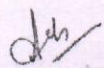
समिति के अनुशंसा-

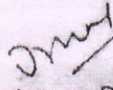
विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:-

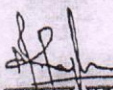
वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति ने विचार-विमर्श किया। विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित स्थल पर कुल 2453 वृक्षों में से 1371 वृक्षों को यथास्थिति रखते हुए 205 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 877 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पौधों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0व0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा निर्धारित बानागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
5. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना वन प्रमंडल,
पटना


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल,
बिहारशरीफ


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमंडल,
आरा


वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना